UPAU010036452022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, औरैया

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार वर्मा–प्रथम, (एच.जे.एस.) – UP6552

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1590/2022

अमित सेंगर पुत्र विशम्भर सिंह निवासी ग्राम शेखपुर बुजुर्ग थाना कुठौंद जिला जालौन।

.....प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... विपक्षी।

दिनांक–20.10.2022

प्रार्थी अमित सेंगर की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना अछल्दा जनपद औरैया सत्र परीक्षण संख्या 11ए/2014, अपराध संख्या 161/2012 अन्तर्गत धारा 147,148,307 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसे उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। वह उपरोक्त अपराध में पूर्व से जमानत पर था। उसकी पत्रावली हाजिरी हेतु दिनांक 22.04.2014 को न्यायालय में नियत थी। परन्तु वह मानसिक रूप से बीमार हो गया तथा अर्द्धविक्षिप्त सा हो गया और उक्त दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका। जिससे न्यायालय ने उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिया। वह करीब चार वर्षों तक मानसिक रूप से बीमार रहा। जब वह स्वस्थ्य हुआ तो इसके बाद दो वर्षों तक कोरोना के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। जब कोरोना की लहर कम हुई तो उसने विशेष न्यायाधीश, द०प्र०क्षे० अधिनियम जालौन के न्यायालय में दिनांक 10.03.2021 को आत्मसमर्पण किया, तब से वह जिला कारागार जालौन में निरुद्ध है। अब उसे न्यायालय द्वारा तलब किया गया है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। वह उक्त मामले में दिनांक 05.09.2022 से जेल में निरुद्ध है। अतः उसके द्वारा जमानत पर निर्मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का तर्क है कि प्रार्थी को पूर्व में जमानत पर निर्मुक्त किया गया था। प्रार्थी कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा था, उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी होने पर उसे जेल भेजा गया है। उसने न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः उनके द्वारा प्रार्थी को पुनः जमानत पर छोड़े जाने का प्रबल विरोध किया है।

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2022.10.20 15:15:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी को पूर्व में जमानत पर निर्मुक्त किया गया था। वह कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा था, उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी होने पर उसे जेल भेजा गया है। परन्तु प्रार्थी का कथन है कि वह मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गया था तथा ठीक होने पर उसने एक अन्य मामले में जनपद न्यायालय जालौन में आत्मसमर्पण किया था और वह जिला कारागार जालौन में निरुद्ध था, जिस कारण उसे पत्रावली में नियत तिथियों की जानकारी नहीं हो सकी थी, उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। उसने यह भी कथन किया है कि वह भविष्य में पत्रावली में नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आता रहेगा। वह उक्त मामले में दिनांक 05.09.2022 से जेल में निरुद्ध है। अतः प्रार्थी को धारा–437(iii) के शर्तों के अधीन रखते हुए गुण–दोष पर टीका–टिप्पणी किये बगैर जमानत पर निर्मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी अमित सेंगर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सत्र परीक्षण संख्या 11ए/2014, अपराध संख्या 161/2012 अन्तर्गत धारा 147,148,307 भारतीय दण्ड संहिता थाना अछल्दा जनपद औरैया स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा 25,000/–रुपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी राशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर निर्मुक्त किया जाता है।

(1) प्रार्थी निश्चित तिथि पर निर्धारित समय पर न्यायालय में उपस्थित होगा।

(2) जब वाद साक्ष्य में नियत होगा और साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तब कोई स्थगन आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(3) न्यायालय की कार्यवाहियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

दिनांक–20.10.2022

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।